म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/भुगतान/369/2021 भोपाल,दिनांक 10/06/2019

प्रति,

श्री महेश अग्रवाल
अध्यक्ष
ग्रेन मर्चेण्ट एसोसिएशन
गल्ला मंडी, हरदा–461331

विषयः– मंडी में क्रय की गई उपज का नगदी भुगतान के संबंध मे

संदर्भः–आपका पत्र दिनांक 01.06.2019

विषय संदर्भ मे, मण्डी बोर्ड द्वारा जारी आदेश मे भी व्यापारियो के द्वारा नगद भुगतान न करते हुए अन्य माध्यमो से भुगतान मे विलम्ब अथवा व्यतिक्रम की संभावना को देखते हुए किसान हित मे ही रूपये 02 लाख तक नकद भुगतान के आदेश जारी किये गये है। मण्डियो मे नगद भुगतान कराये जाने हेतु आयकर विभाग से कृषक विक्रेता को नगद भुगतान मे छूट की सीमा संबंधी स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाकर उपविधि सन 2000 मे संशोधन की कार्यवाही की गई है। यह व्यवस्था पूरे मध्यप्रदेश की कृषि उपज मण्डियो मे लागू की गई है।

प्रस्तुत ज्ञापन मे उल्लेखानुसार, शासकीय योजनाओ और राष्टीय कृषि बाजार मे आरटीजीएस एवं पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जो भुगतान की अनिवार्यता निर्धारित की गई है, उसे शासकीय निर्देशो के पालन मे यथावत रखी जा सकती है। शेष समस्त विक्रय संव्यवहारो मे रूपये 02 लाख तक नकद भुगतान तथा शेष राशि का भुगतान बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से भुगतान व्यवस्था अनिवार्यतः लागू रहेगी।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/भुगतान/369/2022 भोपाल,दिनांक 10/06/2019

प्रतिलिपि :–

1/ अपर संचालक (भा0भु0यो0) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
2/ संयुक्त संचालक (ई–नाम) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड।
3/ संयुक्त/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.......... (समस्त)
4/ भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति समस्त।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल